न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा
पीठासीन अधिकारी :— अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 06/2025

1. चानन राम पुत्र धोकल राम जाति रेगर साकिन 1 एल.बी.एम तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. सुरेन्द्र पुत्र धोकल राम जाति रेगर साकिन 1 एल.बी.एम तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
3. साहबराम पुत्र धोकल राम जाति रेगर साकिन 1 एल.बी.एम तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
4. बाबूलाल रेगर पुत्र मलूराम जाति रेगर साकिन वार्ड न. 23 सुरतगढ तहसील सुरतगढ जिला श्री गंगानगर।
5. प्रवीन कुमार पुत्र रामकुमार जाति रेगर साकिन 1 एल.बी.एम तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
6. राजेन्द्र पुत्र रामकुमार जाति रेगर साकिन 1 एल.बी.एम तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

प्रार्थीगण

बनाम

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमनगढ

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क राजस्व काश्तकारी अधिनियम

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री अर्जुन सिंह नरूका प्रार्थीगण
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा अप्रार्थी

—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 28/02/2025

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से **अन्तर्गत धारा 251—क राजस्व काश्तकारी अधिनियम** अप्रार्थीगण के विरूद्ध अधिवक्ता श्री अर्जुन सिंह नरूका के द्वारा प्रस्तुत किया गया है प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी का प्रमाणित व पंजीकृत पता सिविल प्रक्रिया सहिंता के प्रावधानो के अनुसार वही है जो प्रार्थना पत्र के शीर्षक में निवेदित किया गया हैं।

यह कि प्रार्थी स. 1 ता 3 तथा प्रार्थी स. 5 व 6 के पिता रामकुमार व प्रार्थी स. 4 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 1 एल.बी.एम मे है इस प्रकार प्रार्थी स. 1 ता 3 तथा प्रार्थी स. 5 व 6 के पिता रामकुमार के नाम चक 1 एल.बी.एम खाता स. 6/6 के प.न. 55/363 के मु.न. 16 के किला न. 1/2/227, 2, 3/2/.017, 8/2/.017, 9, 10/2/228, 11/2/228, 12, 13/2/.017, 18/2/.017, 19, 20/2/228, 21/2/228, 22, 23/2/017 की 2.489 हैक. कमाण्ड, प.न. 56/362 के किला न. 6/1/228, 6/2/.025, 7 ता 10 की 1.265 हैक. कमाण्ड मय गैर मु. खाला दोनो पत्थरो की कुल 3.754 हैक. कमाण्ड मय गैर मु. खाला दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमे अप्रार्थी स. 1 ता 3 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा व अप्रार्थी [illegible] 1/6 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड है इसी प्रकार अप्रार्थी [illegible] म चक 1 एल.बी.एम के खाता स. 51/9 के प.न. 55/363 के मु.न. [illegible] 4/1/118, 7/1/118.. 8/1/236, 13/1/236, 14/1/118, 17/1/[illegible] 18/1/236, 23/1/236, 24/1/118 की कुल 1.770 हैक. कमाण्ड कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज [illegible] है। जिसकी जमाबंदियो की प्रमाणित प्रति सलग्न प्रार्थना पत्र [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.03.04 21:07:26 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि है, मिन प्रार्थी स. 5 व 6 के पिता रामकुमार की मृत्यु दिनांक 09.06.2023 को हो चुकी है जिनके मृत्यु प्रमाण पत्र की चित्र प्रति सलग्न प्रार्थना पत्र है तथा मिन प्रार्थी स. 5 व 6 की माता राणीदेवी की मृत्यु दिनांक 12.01.

2022 को हो चुकी है, जिसकी मृत्यु प्रमाण पत्र की चित्र प्रतिलिपि सलग्न प्रार्थना पत्र है। मिन प्रार्थीगण अपनी आपसी सहमती व रजामंदी अर्सा दराज पूर्व से हमारी कृषि भूमि चक 1 एल. बी. एम के प.न. 55/363 के किला न. 1, 2, 3 व 4 के उतर दिशा में पूर्व से पश्चिम में चल रहे 1 – 1 बिस्वा रास्ता को राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड करवाना चाहते है, प.न. 55/363 के किला न. 1 ता 3 मिन प्रार्थी स. 1 ता 3 व 4, 5 की कृषि भूमि में रास्ता अर्सा दराज पूर्व से चल रहा है तथा मिन प्रार्थी स. 4 की कृषि भूमि के प.न. 55/363 के किला न. 4 के उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम में चल रहे 01 बिस्वा रास्ता जो अर्सा दराज पूर्व से ही चल रहा है रास्ता के सम्बंध में मिन पक्षकारो के मध्य किसी प्रकार का कोई मतभेद व विवाद नही है, मिन पक्षकारान अपनी कृषि भूमि में मौका पर चल रहे उक्त रास्ता को राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड करवाने के अधिकारी है तथा रास्ता के सम्बंध में पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का कोई चल व अचल सम्पति व नगद के रूप में लेन देन नही हुआ है।

यह कि मिन प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि चक 1 एल.बी.एम के प.न. 55/363 के किला न. 1 ता 4 के उतर दिशा मे पूर्व से पश्चिम मौका पर चल रहे रास्ते का उपयोग व उपभोग करते है इसी रास्ते से अपनी कृषि जीनस घर व बाजार लाते है, कृषि यंत्रो को भी लाने ले जाने हेतू व बीजाई व कटाई हेतु व कृषि जिन्स को इक्कठा करने के लिये इसी रास्ते का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। इस कारण मिन प्रार्थीगण अपनी उपरौक्त कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 1 एल.बी.एम मे है इस प्रकार प्रार्थी स. 1 ता 3 तथा प्रार्थी स. 5 व 6 के पिता रामकुमार के नाम चक 1 एल.बी.एम खाता स. 6/6 के प.न. 55/363 के मु.न. 16 के किला न. 1/2/227, 2, 3/2/017, 8/2/017, 9, 10/2/228, 11/2/228, 12, 13/2/.017, 18/2/017, 19, 20/2/228, 21/2/228, 22, 23/2/017 की 2.489 हैक. कमाण्ड, प.न.. 56/362 के किला न. 6/1/228, 6/2/025, 7 ता 10 की 1.265 हैक. कमाण्ड मय गैर मु. खाला दोनो पत्थरो की कुल 3.754 हैव. कमाण्ड मय गैर मु. खाला दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमे अप्रार्थी स. 1 ता 3 प्रत्येंक का 1/4 हिस्सा व अप्रार्थी स. 6 के पिता रामकुमार का 1/6 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड है इसी प्रकार अप्रार्थी स. 4 के नाम चक 1 एल.बी.एम के ख़ाता स. 51/9 के प.न. 55/363 के मु.न. 16 के किला न. 3/1/.236, 4/1/.118, 7/1/.118, 8/1/.236, 13/1/.236, 14/1/118, 17/1/.118, 18/1/.236, 23/1/236, 24/1/118 की कुल 1.770 हैक. कमाण्ड कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड है चक 1 एल.बी.एम के पं.न. 55/363 के किला न. 1 ता 4 के उतर दिशा मे पूर्व से पश्चिम मौका पर चल रहे रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड करवाना चाहते हैं तथा इसी अनुसार उक्त रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाना चाहते हैं । यह कि मिन प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतु अवागमन में किसी प्रकार की असुविधा ना हो इसलिये प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णितानुसार रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाना चाहते हैं। प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णितानुसार रास्ता स्वीकृत किया जावे।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान जी से निवेदन है किं चक 1 एल.बी.एम के प.न. 55/363 के किला न. 1 ता 4 के उतर दिशा मे पूर्व से पश्चिम मौका पर चल रहे रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड करवाये जाने के आदेश फरमाये जावे। श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सरिस्ता रिपोर्ट के बाद दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी/राजपैरोकार को से जवाब स्टेट प्राप्त किया गया मुताबिक जवाब प्रकरण का फैसला राजहित को ध्यान में रखते हुए अगर प्रार्थीगण द्वारा अपनी सहमती से रास्ता स्वीकार किया जाता है तो हमे कोई एतराज नहीं है रास्ता स्वीकार किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.03.04 21:07:26 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस पर मनन व पत्रावली अवलोकन स्टेट जवाब एवं उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना इस लिए उचित प्रतीत होता है क्योंकि प्रार्थीगण द्वारा अपने स्वयम् के रकबा में से रास्ता की आवश्यकता है एवं प्रर्थना पत्र आपसी सहमती से प्रस्तुत किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के तहत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश पारित किया जाता है कि– चक 1 एल.बी.एम के पं.न. 55/363 के

किला न. 1 ता 4 प्रत्येक में 0.013 है0 उतर दिशा मे पूर्व से पश्चिम रास्ता स्वीकृत किया जाता है। आदेशों की पालना में तहसीलदार उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 21/2/25 सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.03.04 21:07:26 IST
Reason: SelfAttested